न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 15 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

1. उम्मेदसिंह पुत्र करनसिंह उम्र 42 वर्ष जाति राजपूत निवासी नेहरू नगर, बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.डलसिंह पुत्र अगरसिंह उम्र 47 वर्ष जाति राजपूत निवासी महावार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर
2.पपूदेवी पत्नी पारसमल, उम्र 47 वर्ष, जाति जैन(संखलेचा) निवासी हमीरपुरा तहसील व जिला बाड़मेर
3.दिनेश कुमार पुत्र मांगीलाल, उम्र 27
4.महावीर पुत्र मांगीलाल उम्र 31 वर्ष जातियान जैन (सिंधवी), निवासीयान जूनी चौकी के पास, पुरानावास जैन मन्दिर के पास, बाड़मेर
5.श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 14 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

1. उम्मेदसिंह पुत्र करनसिंह उम्र 42 वर्ष जाति राजपूत निवासी नेहरू नगर, बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.डलसिंह पुत्र अगरसिंह उम्र 47 वर्ष जाति राजपूत निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर
2.पपूदेवी पत्नी पारसमल, उम्र 47 वर्ष, जाति जैन(संखलेचा) निवासी हमीरपुरा तहसील व जिला बाड़मेर
3.दिनेश कुमार पुत्र मांगीलाल, उम्र 27
4.महावीर पुत्र मांगीलाल उम्र 31 वर्ष जातियान जैन (सिंधवी), निवासीयान जूनी चौकी के पास, पुरानावास जैन मन्दिर के पास, बाड़मेर
5.श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 177 / 2009 बअनवान उम्मेदसिंह बनाम डलसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2021 व 23.11.2021।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

2. अधिवक्ता श्री राजेश विश्नोई रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 08.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 89, 53, 188, 92 क व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा, बंटवाड़ा, नक्शा में तरमीम करने व वास्ते पाने स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश कर जाहिर किया कि वादी/अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा ग्राम महाबार पीथल पटवार हल्का महाबार भू अभिलेख क्षेत्र बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 699/1 रकबा 26.10 बीघा किस्म बारानी दोयम के मूल खातेदार डलसिंह पुत्र अगरसिंह का 1/3 हिस्सा, भंवरसिंह पुत्र आईदानसिंह पिसरान प्रतापसिंह का 1/3 हिस्सा, लीलसिंह, टीकमसिंह, गोविन्दसिंह पिसरान सुजानसिंह का 1/3 हिस्सा सह खातेदार में संवत 2056 से 2059 की जमाबंदी में दर्ज थी। उतरदाता संख्या 01 डलसिंह के 1/3 हिस्से में 08.17 बीघा भूमि आती थी जिसमें से 6 बीघा भूमि अपीलांट/वादी ने दिनांक 22.02.2001 को विक्रेता डलसिंह से खरीदकर प्रतिफल राशि रूपये 12000/— अदा कर उक्त खरीदसुदा भूमि का डलसिंह से कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त बेचान के आधार पर अपीलांट/वादी ने अपने नाम से म्युटेशन संख्या 242 दिनांक 20.06.2001 भरा जाकर जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया था। अपीलांट/वादी उपरोक्त खरीदशुदा भूमि पर माफिक बेचान, ईकरारनामा व तरमीम, नक्शें में बतलाई लाल रंग की भूमि के कोने पर छीणों के टुकड़े लगाकर कब्जा कर दिनांक 22.02.2001 से आज दिन तक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है उक्त भूमि के चारों तरफ सेढे कायम किये हुए है। हस्तगत वाद के वाद पत्र का जबाव दावा पेश किया गया तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 04.02.2021 द्वारा पूर्व जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ भेजा गया कि वाद एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम की जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करावे। उक्त निर्देश के पश्चात उक्त प्रकरण में तनकियात कायम की गई किन्तु किसी भी पक्ष के साक्ष्य कलमबद्ध नहीं किये गये एवं दिनांक 30.10.2021 को मुरटाला गाला कोर्ट कैम्प में अपीलांट/वादी की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी करवाया जिसके पश्चात दिनांक 23.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट वाकलपुरा में पूर्व प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

डिक्री पारित करवाते हुए अपीलांट/वादी के कब्जा काश्त के प्रतिकूल जाकर अन्तिम डिक्री पारित कर दी। उपरोक्त प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपीले पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट में रखी गई, जिस बावत अपीलांट/वादी को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना तथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि कुटरचित ईकरारनामे एवं कुटरचित नक्शे के आधार पर वादी को पुरे खेत में रोड से लगती हुई भूमि पर समस्त अधिकार प्राप्त हो यह कदापि संभव नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 को विक्रय की गई भूमि में खरीद से लगाकर आज तक अपीलाधीन आराजी पर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा वाद को लंबा करने की नियत से तकरीबन 12 बार समुचित अवसर दिये जाने के बाद भी वादी द्वारा प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि आलोच्य आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान के दोरान पारित किया गया है जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई थी कि दिनांक 18.01.2022 को कोर्ट में नियमति प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना के आधार पर अपीलांट कोर्ट में

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

गया और अपने प्रकरण की जानकारी ली तो अपीलांट को जानकारी हुई कि अधीनस्थ अधिकारी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में कैम्प कोर्ट मुरटाला गाला में अपीलांट को बिना सूचना दिये एवं बिना सहमति से प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.10.2021 को पारित की थी एवं उसके पश्चात आगामी कैम्प कोर्ट वाकलपुरा में अपीलांट की अनुपस्थिति में ही बिना सूचना अन्तिम डिक्री जारी की है जिस पर अपीलांट ने उसी दिन दिनांक 18.01.2022 को आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया एवं अपीलांट को दिनांक 19.01.2022 को आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा की नकल प्राप्त हुई जिस पर अपीलांट ने यह अपील बाद जानकारी सम्यक सतर्कता एवं सदभावना से श्रीमान के समक्ष पेश की है जो वास्ततिक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है, अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामले को लंबा करने हेतु हस्तगत अपील पेश की गई है। अपीलांट ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट में पारित की गई। पत्रावली को कैम्प कोर्ट में सुनवाई बाबत नियत करने की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी सद्भाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी। अतः वकील अपीलांट के

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांट/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। **माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील/डिक्री/टीए/2985/2017/बाड़मेर में दिनांक 04.02.2021 को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वाद एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात विरचित करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया जो कतई स्वीकार्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53 व 188, 92 के, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 177/2009 बअनवान उम्मेदसिंह बनाम डलसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2021 व 23.11.2021 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक तनकी पर निर्णय पारित करे तथा अपीलाधीन

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

आराजी का तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए वाई मिटस एण्ड वाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। मौके पर उभयपक्षकारान के मध्य विवाद नहीं हो इसलिए वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि हस्तगत वाद का निस्तारण वाद समुचित सुनवाई अधिकतम चार माह में करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.04.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर